Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 82/2022 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

धन्नालाल पुत्र चन्दा जाति माली निवासी ऊनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा

....प्रार्थी

बनाम

1. भू अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा
2. परियोजना अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई दौसा 87, गंगा विहार कालोनी, होटल रावत पैलेस के पीछे दौसा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना अंतर्गत धारा 3 जी विरूद्व अवार्ड आदेश दिनांक 09.03.2019 भू अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा बाबत भूमि खसरा नंबर 1099, 1101 बाबत वाके ग्राम ऊनबडागांव तहसील बसवा के संबंध में पुनः अवाप्तशुदा भूमि का सर्वे करवाकर मुआवजा का पुनः निर्धारण करवाने व मुआवजा दिलाये जाने बाबत

उपस्थित– 1. श्री रामकिशन बैरवा , अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय   दिनांक 12.03.2026

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के अंतर्गत ग्राम ऊनबडागांव के खसरा नंबर 1099, 1101 के पारित के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियागया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब कियागया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी ग्राम ऊनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा का काश्तकार व्यक्ति है तथा ग्राम ऊनबडागांव में खसरा नंबर 1099 व 1101 स्थित है जिसके खातेदारी चन्दर पुत्र बालू जाति माली के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खातेदार चन्दर की मृत्यु हो चुकी है इसके वारिसान कैलाश पुत्र चन्दर, किशोर पुत्र चन्दर, धन्नालाल पुत्र चन्दर, मोहनलाल पुत्र चन्दर के नाम से वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रत्येक का 1/4, 1/[illegible] 1/4 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि के खातेदारान ने भूमि का बाहमी तौर [illegible] कर रखा है तथा जो भूमि अवाप्त की गई है वह प्रार्थी के हिस्से [illegible] हुई है तथा पेड़ पौधे भी प्रार्थी के हिस्से की भूमि में ही लगे हुए है तथा प्रार्थी ने [illegible] पेडो को लगाया है [illegible]रिश भी प्रार्थी ने ही की है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि में [illegible] कुछ भूमि दिल्ली– [illegible] सडक एन. एच– 148 में अवाप्त की गई है। उक्त भूमि में प्रार्थी के एक आम का पेड, चार अनार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

पेड, जामुन का एक पेड, शहतूत के 9 पेड, करूंदा के 7 पेड लगे हुए है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि अवाप्तशुदा का तो मुआवजा निर्धारण कर दिया तथा उक्त भूमि में उपरोक्त पेडो के संबंध में मुआवजा का निर्धारण नहीं किया और न ही कोई मुआवजा राशि अदा की। इस संबंध में प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2022 को दिया तथा उक्त पेडों का सर्वे मार्च 2021 में किया गया जिसमें उक्त पेडों का अंकन किया हुआ है इसके बावजूद भी प्रार्थी को आज तक पेडो का कोई मुआवजा नहीं दिया गया और न ही निर्धारण किया गया। प्रार्थी न्यायालय श्रीमान का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है व भूअवाप्ति अधिकारी को आदेशित फरमाया जाना न्यायोचित है कि सर्वे मार्च 2021 के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित पेडों के संबंध में मुआवजा का पुनः जांच कर निर्धारण करे व प्रार्थी को पेडों का मुआवजा दिलाया जाना न्यायोचित है। 5. यह है कि प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क पर पेश है तथा प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 भू अवाप्ति अधिकारी बांदीकुई को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि अवाप्तशुदा भूमि में लगे हुए उपरोक्त पेडों के व सर्वे मार्च 2021 की रिपोर्ट अनुसार पुनः मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड संशोधित जारी किया जावे तथा पेडों का मुआवजा अप्रार्थी संख्या 2 से प्रार्थी को दिलवाये जाने की कृपा करे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड पारित किया जाकर मुआवजा निर्धारण किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित फलदार पेडों का मुआवजा निर्धारण किया जाकर संबंधित खातेदारों को भुगतान किया जा चुका हैं प्रार्थी द्वारा गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत गठित एक संविधिक निकाय है जिसकों कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जनसाधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसी भी राजमार्ग को व्यापक लोकहित में देखते हुए उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का कार्य करती है, तथा अधिनियम की धारा 2 के तहत किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की अधिघोषणा करती है, तथा उक्त अधिघोषणा केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करती है। केन्द्र सरकार किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबंधन, अनुरक्षण, प्रचालन, चौडा करने, 4/6 लेनीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 की उपधारा के तहत केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करती हैं, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा अभिनिर्धारण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवाप्ति की सम्पूर्ण [illegible] कर 4/6 लेनीकरण के लिए भूमि उत्तरदाता प्राधिकरण को सुपुर्द करती है, जि[illegible] पश्चात ही उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा 4/6 लेनीकरण का कार्य सम्पन्न क[illegible] [illegible] के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने [illegible] लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 149.000 कि.मी. से 170. 800 कि.मी. (दिल्ली – बडोदरा एक्सप्रेसवे) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2306 (अ) दिनांक 06.06. 2018 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनित किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 149.000 कि. मी. से 170.800 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण / पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या का. आ. 4114 (अ) दिनांक 21.08.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08. 2018 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति में दिनांक 09.09.2018 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3 ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली – बडोदरा एक्सप्रेस वे के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 556 (अ) दिनांक 30.01.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 30.01.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों समाचार जगत व राजस्थान पत्रिका दोनो में दिनांक 08.02.2019 के अंको में प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि खसरा नम्बर 1099 की 0.3653 हैक्टेयर चाही – 2 /जाव – 2 एवं खसरा नम्बर 1101 की 0.3284 चाही–2 वाके ग्राम ऊनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी 3 ए अधिसूचना में वाके [illegible] बसवा जिला दौसा के अवाप्त रकबे बावत् अधिसूचना प्रकाशित की गई । उक्त [illegible] एवम् समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित [illegible] किये गये। प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त [illegible] उक्त विवादित आराजी के अर्जन बावत् रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार नई दिल्ली को भे[illegible]गई जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा भूमि अर्जन बावत् अधिनियम की धारा 3 डी की अधिसूचना प्रकाशित की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

। उक्त अधिसूचना में यह अंकित किया गया कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलग्ममों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहीत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (1) अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान की भूमि भी सम्मिलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय–सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित की गई । अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को जमा करवा दिया गया है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों की धनराशि भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा– 30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर छायादार एवं फलदार वृक्षों के बाजार मूलय का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों का मूल्यांकन सहायक निदेशक उद्यान (**Horticulture Department**) के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी गयी जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि का मुआवजा निर्धारित किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 तहत 100 प्रतिशत वृद्धि की जाकर मुआवजा निर्धारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, विधि के प्रावधानानुसार माननीय न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारीत कर सकती है इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दूओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है व मात्र इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त [illegible] है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निम[illegible] हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहन का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही [illegible] राजमार्ग का निमाण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम [illegible] जा सके । ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आ[illegible]गमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है। जो विधि सम्मत् एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई है। अवाप्तशुदा भूमि एवं अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों की जो मुआवजा राशि अधिनिर्णय–आदेश क्रमांक 275 दिनांक 09.03.2019 एवं पूरक अधिनिर्णय आदेश दिनांक 04.03.2021 के द्वारा निर्धारित की गई है वह पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत ही निर्धारित की गई है, प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम ऊनबडागांव तहसील बसवा स्थित भूमि खसरा नंबर 1099 व 1101 में से 0.3653है. व 0.3284 है. भूमि दिल्ली बडौदारा एक्सप्रेस वे हेतु अवाप्त की गई थी। इस भूमि का मुआवजा भुगतान लाभार्थियों को किया जा चुका है। खसरा नंबर 1099 व 1101 में स्थित फलदार पेडों का अवार्ड दिनांक 4.3.2021 को पारित किया गया था। इस अवार्ड में आम, नींबू, अमरूद, जामुन, शहतूत, बेलपत्र, करोंदा के फलदार पेडों का मुआवजा निर्धारण किया गया है जिसका मुआवजा भुगतान संबंधित खातेदारों को किया जा चुका है। उक्त अवार्ड पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार द्वारा जांच उपरांत विधिवत प्रकिया पूर्ण कर पारित किये गये है।

7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों के तर्कों का विस्तार से विश्लेषण किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड तथा अप्रार्थी संख्या–1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जवाब का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया। प्रार्थी धन्नालाल द्वारा ग्राम ऊनबडागांव, तहसील बसवा की भूमि खसरा संख्या 1099 एवं 1101 के अवाप्ति के संबंध में फलदार वृक्षों (आम, अनार, जामुन, शहतूत, करूंदा) के मुआवजे हेतु पुनः सर्वे एवं निर्धारण का निवेदन किया गया है। प्रार्थी का मुख्य तर्क है कि मार्च 2021 के सर्वे के बावजूद उसे इन वृक्षों का उचित मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। इसके विपरीत, अप्रार्थी संख्या–1 एवं 2 ने सशक्त रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि भूमि अवाप्ति की संपूर्ण कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए, 3सी एवं 3डी के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पूर्ण की गई है, जिसके पश्चात उक्त भूमि पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो चुकी है।

9. पत्रावली के साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) द्वारा 'उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा 30(1) के प्रावधानों के अनुरूप परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या–2 के जवाब के अनुसार, अधिग्रहित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों का बाजार मूल्य अवधारित करने हेतु उद्यान विभाग के सहायक निदेशक द्वारा तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी। इसी मूल्यांकन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुख्य अवार्ड दिनांक 09.03.2019 के अतिरिक्त एक पूरक अधिनिर्णय दिनांक 04.03.2021 भी पारित किया जा चुका है। NHAI का यह तर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निर्धारित मुआवजा राशि का भुगत[illegible]नुसार सक्षम प्राधिकारी को जमा करवाया जा चुका है। यही तथ्य भूमि [illegible] दिनांक 17.1.2025 में पेश की गई है कि खसरा संख्या 1099 एवं 1101 में [illegible] आम, नीबू, अमरूद, शहतूत, बेल पत्र, करोंदा के फलदार पेडों का मुआवजा का निर्धारण [illegible]या जाकर भुगतान संबंधित खातेदारों को किया जा चुका है। उक्त खातेदारों ने जिन्हें भुगतान किया गया है जिनमें धन्नालाल का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

नाम भी अंकित है। प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त मुआवजे की मांग के अपने कथन में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में केवल पुनः सर्वे की मांग की गई है, किंतु वह यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि उद्यान विभाग जैसी विशेषज्ञ संस्था द्वारा किया गया तकनीकी मूल्यांकन किसी विधिक त्रुटि से ग्रसित है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी (5) के तहत मध्यस्थ का क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से मुआवजे की राशि के निर्धारण तक सीमित है। चूंकि रिकॉर्ड से यह प्रमाणित होता है कि विभाग द्वारा पूर्व में ही सर्वे कर पूरक अवार्ड दिनांक 04.03.2021 पारित किया जा चुका है, जिसमें परिसंपत्तियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर आधारित है, अतः प्रार्थी की पुनः सर्वे की मांग आधारहीन प्रतीत होती है। प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाए कि पूरक अवार्ड में किन्हीं विशिष्ट वृक्षों को गणना से जानबूझकर बाहर रखा गया है अथवा मूल्यांकन की दरें बाजार भाव से कम हैं।

11. अतः, उपरोक्त विवेचना एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में, अप्रार्थी संख्या–1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं प्राथमिक आपत्तियों को स्वीकार किया जाता है। यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 09.03.2019 एवं पूरक अवार्ड दिनांक 04.03.2021 पूर्णतः विधि सम्मत हैं और इनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के अभाव में, पुनः सर्वे एवं मुआवजा पुनर्निर्धारण की मांग न्यायोचित नहीं पायी जाती है। परिणामतः, प्रार्थी धन्नालाल का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष अपने–अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। निर्णय की प्रति संबंधित पक्षों को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 12 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official